

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या:-**628**/1जी- FP/UK/ROAD/17623/2016 देहरादून: दिनांक: **22** अगस्त, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय: जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1. 4875 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-**627** दिनांक **22-08-16** के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/17623/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
7. अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु० कीर्तिनगर।

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

#### भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़-रानीताल मोल्टा मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.4875 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नरेन्द्रनगर वन प्रभाग में 0.0175 है० आरक्षित वन भूमि एवं 1.47 है० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 1.485 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल होने की कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार साहू)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 22/08/2016

स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 627 / FP/UK/ ROAD /17623/2016 देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाड़ा से सौडू रानीताल मोल्टा चक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु  
1.4875 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या— Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की  
एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के  
अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या 627 / FP/UK/ROAD/17623 /2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।